सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
फाल्गुन 01, मंगलवार, *शाके* 1945-फरवरी 20, 2024 *Phalguna 01 Tuesday , Saka 1945- February 20 , 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, जनवरी 30, 2024

संख्या प. 2(46)वन/2023 :-चूँकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज उसके किसी अंश की स्वत्तधारी (Entitled) है।

और चूँकि सरकार उपर्युक्त वन भूमि तथा बंजर भूमि को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 29 उप धारा (1) के अन्तर्गत रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है।

और चूँकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकार या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के संबंध में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है परन्तु चूँकि इन कार्यो के सम्पादन में जितना समय लगेगाा। इस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचाने की आशंका है।

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 (1953 की एक्ट संख्या 3) की धारा 29 की उप धारा (3) के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर/असिस्टेंट अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुकित करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेख तथा साक्ष्य उसी प्रणाली में किया जावेगा जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 9, 10, 11, (1), 13, 14, 17, 18 तथा 19 में प्रवाहित है।

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) में परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरा में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेख सम्पादित होने तक उक्त वन भूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है, परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषण करती है कि उक्त रक्षित वन को वे वृक्ष जो इसके संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये है, राजपत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों को हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशुपालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर भूमि)
द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,
मोनाली सेन,
शासन सचिव,
वन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

प्रथम अनुसूची

क्र सं	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	ग्राम का नाम	विवरण	
						पत्थर नम्बर (मुरबा नंम्बर)	रकबा (हैक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	चक 4 केएचडी (खैदासरी)	रावतसर	हनुमानगढ़	उत्तर - गैर मुमकिन खाला दक्षिण - आबादी भूमि (230/44(26), 250/52(27)) पूर्व - आबादी भूमि (230/59(13)) पश्चिम - कृषि भूमि (230/35(16))	चक 4 केएचडी	230/43(15)	6.2000
						230/51(14)	6.2000
					योग	किता-1	12.4000

(वीरेन्द्र सिंह जोरा)
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

द्वितीय अनुसूची
आरक्षित वृक्ष

क्र.सं.	वानस्पतिक नाम	हिन्दी नाम
1	Azadirachta Indica, A. juss	नीम
2	Acacia Arubica Wild	बबूल
3	Aerua Tometosa	बुई
4	Calligonum Polygonouides	फोग
5	Capparis Decidna	केर
6	Dalbergis Sissoo Roxb	शीशम
7	Ficus religiosa, Linn	पीपल
8	Leptadenia pyrotechnica	खीप
9	Prosopis Cineraria	खेजड़ी
10	Acacia Tortalis	ईजराईल बबूल
11	Zizyphus jujuba lam	बेर
12	Zizyphus Xyloptyra Wild	धोंट
13	Zizyphus nummularia	भड बेर
14	Eucalyptus	सफेदा
15	Calotropis Procera	आक
16	Cenchrus Cilliaris	धामण घास
17	Lasiuress Sindieus	सेवन घास
18	Saccharum Munja	मूजा घास

रणवीर सिंह
क्षेत्रीय वन अधिकारी
रावतसर

(वीरेन्द्र सिंह जोरा)
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

परिशिष्ठ ''क''

प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण पत्र

(जो लागू नहीं होता है उसे काट दें)

नाम वन खण्ड - चक 4 केएचडी (खैदासरी)

नाम रेंज - रावतसर

नाम वन मण्डल - उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़

1. संलग्न प्रारूप में दर्शायी गई भूमि का वर्गीकरण कमाण्ड है जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 7 में विस्तृत रूप से पत्थर नम्बर(मुरबा नम्बर) का विवरण दर्शाया गया है।
2. वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों में गैर मुमकिन नर्सरी वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा वन विकास कार्य करवाया गया है इसमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नहीं हो रहा है।
3. वर्तमान में कुल क्षेत्र में वृक्षारोपण वर्ष 2011-12 में कराया गया है। इसमें कोई खनन कार्य नहीं हुआ है।
4. भूमि पर वृक्षों, झाडियों व घास का घनत्व 75 प्रतिशत है। इस वन खण्ड में सम्पूर्ण क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाया गया है।
5. समीपवर्ती स्थित क्षेत्र गैर मुमकिन खाला, आबादी एवं कृषि की भूमि है तथा चारों और सीमाओं का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 5 में अंकित कर दिया गया है।
6. वन खण्डों के वांछित मानचित्र (नक्शें) संलग्न है एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं, सीमाओं एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षेत्र की सीमा को नक्शें में लाल स्याही से इंगत किया गया है।
7. प्रस्तावित क्षेत्रों की विज्ञप्तियों के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नहीं भेजने के कई कारण रहे है किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है, जिससे कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।
8. उक्त वन विभाग की भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

रणवीर सिंह
क्षेत्रीय वन अधिकारी
रावतसर

(वीरेन्द्र सिंह जोरा)
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।